

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	357.62	46.85	404.47	314.43	30.00	344.43	389.94	24.63	414.57	478.54	29.50	508.04
<i>वसूलियां</i>	-0.09	...	-0.09	...	...	...	-30.00	...	-30.00	-60.00	...	-60.00
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>357.53</b>	<b>46.85</b>	<b>404.38</b>	<b>314.43</b>	<b>30.00</b>	<b>344.43</b>	<b>359.94</b>	<b>24.63</b>	<b>384.57</b>	<b>418.54</b>	<b>29.50</b>	<b>448.04</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	71.83	...	71.83	78.63	...	78.63	103.62	...	103.62	108.03	...	108.03
2. कारपोरेट विधि नियमन												
2.01 संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार	36.69	...	36.69	38.20	...	38.20	51.31	...	51.31	51.83	...	51.83
2.02 क्षेत्रीय निदेशक, शासकीय समापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय	52.19	...	52.19	99.23	...	99.23	90.23	...	90.23	146.00	...	146.00
जोड़- कारपोरेट विधि नियमन	88.88	...	88.88	137.43	...	137.43	141.54	...	141.54	197.83	...	197.83
3. वास्तविक वसूलियां	-0.09	...	-0.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>160.62</b>	<b>...</b>	<b>160.62</b>	<b>216.06</b>	<b>...</b>	<b>216.06</b>	<b>245.16</b>	<b>...</b>	<b>245.16</b>	<b>305.86</b>	<b>...</b>	<b>305.86</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>कारपोरेट आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली</b>												
4. कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)	1.76	...	1.76	8.00	...	8.00	2.68	...	2.68	4.00	...	4.00
5. डाटा माइनिंग प्रणाली	...	2.79	2.79	...	2.00	2.00	...	2.32	2.32	...	1.50	1.50
<b>जोड़-कारपोरेट आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली</b>	<b>1.76</b>	<b>2.79</b>	<b>4.55</b>	<b>8.00</b>	<b>2.00</b>	<b>10.00</b>	<b>2.68</b>	<b>2.32</b>	<b>5.00</b>	<b>4.00</b>	<b>1.50</b>	<b>5.50</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>1.76</b>	<b>2.79</b>	<b>4.55</b>	<b>8.00</b>	<b>2.00</b>	<b>10.00</b>	<b>2.68</b>	<b>2.32</b>	<b>5.00</b>	<b>4.00</b>	<b>1.50</b>	<b>5.50</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
6. भारतीय दिवाला और शोधन अधमता बोर्ड	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00	6.50	...	6.50
7. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	180.25	...	180.25	80.37	...	80.37	92.10	...	92.10	94.18	...	94.18
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>180.25</b>	<b>...</b>	<b>180.25</b>	<b>80.37</b>	<b>...</b>	<b>80.37</b>	<b>102.10</b>	<b>...</b>	<b>102.10</b>	<b>100.68</b>	<b>...</b>	<b>100.68</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
8. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)	14.90	...	14.90	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00
<b>अन्य</b>												
9. निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि												
9.01 निवेशकों को दावा रहित लाभांश लौटाना	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00	60.00	...	60.00
9.02 आईईपीएफ द्वारा की गई वसूलियां को घटाना	...	...	...	...	...	...	-30.00	...	-30.00	-60.00	...	-60.00
	<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. मुख्य निर्माण कार्य, भूमि और भवन	...	44.06	44.06	...	28.00	28.00	...	22.31	22.31	...	28.00	28.00
<b>जोड़-अन्य</b>	...	<b>44.06</b>	<b>44.06</b>	...	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	...	<b>22.31</b>	<b>22.31</b>	...	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>195.15</b>	<b>44.06</b>	<b>239.21</b>	<b>90.37</b>	<b>28.00</b>	<b>118.37</b>	<b>112.10</b>	<b>22.31</b>	<b>134.41</b>	<b>108.68</b>	<b>28.00</b>	<b>136.68</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>357.53</b>	<b>46.85</b>	<b>404.38</b>	<b>314.43</b>	<b>30.00</b>	<b>344.43</b>	<b>359.94</b>	<b>24.63</b>	<b>384.57</b>	<b>418.54</b>	<b>29.50</b>	<b>448.04</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	253.75	...	253.75	167.00	...	167.00	198.40	...	198.40	206.21	...	206.21
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	103.78	...	103.78	147.43	...	147.43	161.54	...	161.54	212.33	...	212.33
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	46.85	46.85	...	30.00	30.00	...	24.63	24.63	...	29.50	29.50
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>357.53</b>	<b>46.85</b>	<b>404.38</b>	<b>314.43</b>	<b>30.00</b>	<b>344.43</b>	<b>359.94</b>	<b>24.63</b>	<b>384.57</b>	<b>418.54</b>	<b>29.50</b>	<b>448.04</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>357.53</b>	<b>46.85</b>	<b>404.38</b>	<b>314.43</b>	<b>30.00</b>	<b>344.43</b>	<b>359.94</b>	<b>24.63</b>	<b>384.57</b>	<b>418.54</b>	<b>29.50</b>	<b>448.04</b>

नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है और ये उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं। ये कार्यालय परिसमापन की जारी रही कंपनियों के प्रभारी हैं। महानिदेशक, कारपोरेट कार्य की भूमिका मंत्रालय और देश भर के फील्ड कार्यालयों के बीच संपर्क स्थापित करने की है।

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय और ई-गवर्नेंस परियोजना (एमसीए21) के लिए प्रावधान है।

2.01. **संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार:** इसमें विभिन्न राज्यों में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक कार्यालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों पर होने वाले व्यय का प्रावधान है। इन कार्यालयों के मुख्य कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 1956 की शेष धाराओं के अधीन पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों की रजिस्ट्री, वार्षिक रिटर्न, तुलन पत्र और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा करना तथा ऐसी संवीक्षा के परिणामस्वरूप ध्यान में आने वाली अनियमितताओं पर अपेक्षित कार्रवाई करना है। कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक कार्यालय अर्थात् पूंजीकरण का कार्य और परिसमापन के प्रयोजनों के लिए शासकीय समापक का कार्य करते हैं। ये कार्यालय उच्च न्यायालयों के साथ संबद्ध होते हैं और ये अनिवार्य परिसमापन के अधीन कंपनियों के प्रभारी होते हैं।

2.02. **क्षेत्रीय निदेशक, शासकीय समापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय:** क्षेत्रीय निदेशक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक कार्यालयों, कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालयों का पर्यवेक्षण, परामर्श एवं मार्गदर्शन करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार शासकीय समापकों की

अन्य व्यय में, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी), प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (कॉम्पैट), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपील अधिकरण (एनएफआरए), विशेष न्यायालयों के लिए प्रावधान है।

4. **कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम):** कारपोरेट डाटा प्रबंधन योजना में मंत्रालय में इन-हाउस डाटा माइनिंग और विश्लेषणात्मक सुविधा तैयार करने का प्रस्ताव है जिससे कारपोरेट रजिस्ट्री में सूचना क्षेत्र के विशाल संग्रह का प्रभावी उपयोग किया जा सके। इस सुविधा का लक्ष्य सभी हितबद्धों को अधिक सुगम तरीके से वास्तविक और सही डाटा उपलब्ध कराने के साथ-साथ, इस मंत्रालय और अन्य नीति या निर्णय लेने वाली सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों को व्यवस्थित और संरचनागत तरीके से सूचना उपलब्ध कराना है।

5. **डाटा माइनिंग प्रणाली:** इसमें डाटा प्रबंधन प्रणाली के लिए साफ्टवेयर लाइसेंस और आईटी संबंधी उत्पादों की खरीद के लिए पूंजी खंड के अधीन खर्च का प्रावधान है।

6. **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड:** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार इस मंत्रालय ने कारपोरेट निकायों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों का समयबद्ध रीति में पुनर्गठन और दिवाला समाधान करने से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का गठन किया है ताकि ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य की अधिकतम वृद्धि करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और सरकारी देयराशि के भुगतान को प्राथमिकता देते हुए परिवर्तन सहित सभी पक्षकारों के हितों में संतुलन बनाया जा सके तथा इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता तैयार की जा सके।

7. **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग:** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए की गई। पूर्व एमआरटीपी आयोग के समक्ष लंबित सभी मामले प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण या प्रतिस्पर्धा आयोग को अंतरित हो गए हैं। इसमें सामान्य अनुदान सहायता, अनुदान-सहायता वेतन और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान आदि का प्रावधान है।

8. **भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए):** सहक्रियाशील ज्ञान प्रबंधन, भागीदारी और वन-स्टाप-शॉप मोड के माध्यम से कारपोरेट विकास, सुधारों और विनियमनों के लिए समग्र विचार-मंच, क्षमता निर्माण और सेवा सुपुर्दगी संस्थान के रूप में कार्यरत।

9.01. **निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि:** दावेदारों को भुगतान/दावा न की गई राशि का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) से संवितरण करने के लिए प्रावधान।

9.02. **निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि:** निवेशकों को लौटाने हेतु निधि का प्रावधान है।

10. **मुख्य निर्माण कार्य, भूमि और भवन:** इसमें कार्यालयों के लिए कार्यालय परिसर /कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास हेतु भूमि/भवन/निर्माण पर होने वाले खर्च का प्रावधान है।